रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1973/भाद्र 15, 1895

No. 207] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1973/BHADRA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th September 1973

SUBJECT.—*Corrigendum to Public Notice No. 8-ETC(PN)/73, dated the 21st March, 1973.*

No. 25-ETC(PN)/73.—Attention is invited to Public Notice No. 8-ETC(PN)/73, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st March, 1973.

2. The corrections as shown in the Annexures I and II attached to this Public Notice are hereby notified for the information of the trade.

3. The Public Notice No. 8-ETC(PN)/73, dated 21st March, 1973, may be deemed to have been amended accordingly.

ANNEXURE I

Corrigendum to Public Notice No. 8-ETC(PN)/73 dated the 21st March, 1973.

Page No. of Gazette	Description	Price	For Rupees	Read Rupees
1	2	3	4	5
272	No. 3 CL & S.S.	FOB	415·99	465·99
	No. 4 CL & S.S.	FOB	357·95	356·49
273	No. 3 D.S.	FAS	24·41	25·41
	1-1/16" dia. or 27 mm. Std. B	FOB	16·12	15·12
283	No. 1 Ruby Cond. Film Ist Q.	FOB	415·76	449·
	No. 2 Do.	FOB	354·29	383·
	No. 1 Do. IInd Q.	FOB	303·68	328·4
	No. 2 Do.	FOB	253·07	273·73
	No. 1 Do. IIIrd Q.	FOB	225·95	244·40
	No. 2 Do.	FOB	182·21	197·10
	No. 51 Do. Ist Q.	FAS	121·77	112·78
	No. 1 Green Cond. Film Ist Q.	FOB	415·76	449·70
	No. 2 Do.	FOB	354·29	383·22
	No. 5 Do.	FAS	121·77	112·78
	No. 1 Do. IInd Q.	FOB	303·68	328·47
	No. 2 Do.	FOB	353·07	273·73
	No. 1 Do. IIIrd Q.	FOB	225·95	244·40
	No. 2 Do.	FOB	182·21	197·10
	No. 5 Do.	FOB	72·17	72·78
285	Grade 1 B.F. 1st Q.	FAS	122·77	112·77
	4 Top 1st Q.	FOB	60·65	60·75
	No. 3 R/C B.F.	FOB	25·07	26·06
	No. 4 R/C B.F.	FOB	22·21	23·21
	4 R/C B.F.	FAS	18·50	19·42
286	No. 6 Spotted Loose 1st	FAS	3·87	4·06
	Do.	FOB	4·44	4·66
	No. 6 Spotted Loose IInd	FAS	2·78	2·92
	Do.	FOB	3·19	3·35
	No. 6 Rd/Copper Std. Loose	FAS	1·82	1·91
	Do.	FOB	2·09	2·19
288	Mica Scrap or waste	For "per kgs." read "per metric tonne".		
	Factory cuttings of Mica			

ANNEXURE II

Corrigendum to Public Notice No. 8-ETC(PN)/73 dated the 21st March, 1973.

Page No. of Gazette	As notified	Correction
1	2	3
279	In 3(c) of the Annexure it is mentioned as "for orders in only one or two mil range of thickness".	It should be corrected as "for orders in only 1 or 2 mil range of thickness".
281	In examples (i) and (ii), the price of No. 6 STD 1 is given as Rs. 18·32 and the subsequent premiums are also calculated on same.	The price of No. 6 STD I should be Rs. 17·30 and the relative premiums also to be calculated and added on the same *in the examples.*

1	2	3
284	The area of the pattern in item 2 is given as "1·5 sq. inches to less than 2 sq. inches or 957 sq. mms. to less than 1290 sq. mm.".	This should be corrected as "..... or 967 sq. mm to less than 1290 sq. mm.".
284	In clarification No. 2 it is mentioned as "..... Similarly in No. 2·5 30% of the 1 may be allowed".	It should be corrected as "..... Similarly in No. 2, 30% of the 1 may be allowed"

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1973

विषय.—पार्वजनिक सूचना संख्या 8–ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 21 मार्च, 1973 के लिये शुद्धिपत्र ।

सं० 25-ई०टीसी (पी० एन०)/73.—दिनांक 21 मार्च, 1973 को भारत के असाधारण राजपत्र के खण्ड 1, भाग 1 में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सख्या 8–ईटीसी (पीएन)/73, की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 इस सार्वजनिक सूचना में सलग्न अनुबन्ध 1 और 2 में यथा प्रदर्शित शुद्धियों को व्यापारी की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या : 8ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 21 मार्च, 1973 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

अनुबन्ध 1.

सार्वजनिक सूचना संख्या 8-ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 21 मार्च, 1973 के लिए शुद्धि पत्र.

राजपत्र की पृष्ठ सख्या	व्यौरा	कीमत	निम्नलिखित रुपये के लिए	निम्नलिखित रुपये पढ़ें
1	2	3	4	5
272	सख्या 3 सीएल तथा एस० एस०	जहाज पर्यन्त	415.99	465·99
	सख्या 4 सीएल तथा एस०एस०	नि.शुल्क वही	357.95	356·49
273	सख्या 3 डी०एस०	जहाज तक नि:शुल्क	24.41	25.41
	1–1/16" व्यास या 27 एमएमडी०बी०	जहाज पर्यन्त नि शुल्क	16.12	15.12

1	2	3	4	5
283	संख्या 1 रुबी कंड० फिल्म प्रथम क्यू	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	415.76	449.70
	संख्या 2—वही— .	,,	354.29	383.22
	संख्या 1—वही— द्वितीय क्यू .	,,	303.68	328.47
	संख्या 2—वही— .	,,	253.07	273.73
	संख्या 1—वही— तृतीय क्यू	,,	225.95	244.40
	संख्या 2—वही— .	,,	182.21	197.10
	संख्या 5. 1/2—वही— प्रथम क्यू	जहाज तक नि:शुल्क	121.77	112.78
	संख्या 1. ग्रीन कंड० फिल्म प्रथम क्यू .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	415.76	549.70
	संख्या 2—वही— . .	,,	354.29	283.22
	संख्या 5—वही— . .	जहाज तक नि:शुल्क	121.77	112.78
	संख्या 1—वही— द्वितीय क्यू .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	303.68	328.47
	संख्या 2—वही— . .	,,	353.07	273.73
	संख्या 1—वही— तृतीय क्यू .	,,	225.95	241.40
	संख्या 2—वही— . .	,,	182.21	197.10
	संख्या 5—वही— . .	,,	72.17	72.78
285	वर्ग 1 बी०एफ० प्रथम क्यू .	जहाज तक नि:शुल्क	122,77	112.77
	4 टॉप प्रथम क्यू . .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	60.65	60.75
	संख्या 3 आर/सी बी०एफ० .	,,	25.07	26.06
	संख्या 4 आर/सी बी०एफ० .	,,	22.21	23.21
	संख्या 4 आर/सी बी०एफ०	जहाज तक नि:शुल्क	18.50	19.42
286	संख्या 6 स्पोटिड लूज प्रथम .	,,	3.87	4.06
	—वही— . .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	4.44	4 66
	संख्या 6 स्पोटिड लूज द्वितीय .	जहाज तक नि:शुल्क	2.78	2.92
	—वही— . .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	3.19	3.35
	संख्या 6 आरडी/कापर एसटीडी० लूज	जहाज तक नि:शुल्क	1.82	1.91
	—वही— . .	जहाज पर्यन्त नि:शुल्क	2.09	2.19
288	अभ्रक कतरन या अभ्रक की रद्दी फैक्ट्री कटिंग्स . .	'प्रति किलो' के लिए 'प्रति मैट्रिक टन' पढ़ें ।		

अनुबन्ध 2

सार्वजनिक सूचना संख्या 8–ई टी सी (पी एन)/73,
दिनांक 21 मार्च, 1973 के लिए शुद्धिपत्र

राजपत्र की पृष्ठ संख्या	जैसा अधिसूचित किया गया था	शुद्धि
1	2	3
279	अनुबन्ध के 3 (सी) में "मोटाई के केवल एक या दो मिल के घेरे में आदेशों के लिए" के रूप में इसे उल्लिखित किया जाता है ।	इसे "मोटाई के केवल 1 या 2 मिल घेरे में आदेशों के लिए" के रूप में शुद्ध किया जाना चाहिए ।
281	उदाहरण (1) और (2) में संख्या 6 एसटीडी 1 की कीमत 18.32 रुपये के रूप में दी जाती है और बाद की किश्तों के परिकलन भी उसी आधार पर किए जाते हैं ।	संख्या 6 एस टी डी 1 की कीमत 17.30 रुपये होनी चाहिए और सम्बन्धित किश्तों का परिकलन और संकलन भी उदाहरणों के अनुसार उसी आधार पर किया जाना चाहिए ।
284	मद 2 में नमूने का क्षेत्र "2 वर्ग इंच से कम 1.5 वर्ग इंच या 1290 वर्ग मि०मी० से कम 957 वर्ग मि० मी०" के रूप में दिया जाता है ।	इसे"....या 1290 वर्ग मि०मी० से कम 967 वर्ग मि०मी०" के रूप में शुद्ध किया जाना चाहिए ।
284.	स्पष्टीकरण संख्या 2 में "संख्या 2 5 में उसी के समान.....1 के 30 प्रतिशत की स्वीकृति दी जाए" के रूप में इसे उल्लिखित किया जाता है ।	"संख्या 2 में उसी के समान....1 के 30 प्रतिशत की स्वीकृति दी जाए ।" के रूप में इसे शुद्ध किया जाना चाहिए ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973